अध्याय 5
सेवा-कर

88. वित्त अधिनियम, 1994 में,— 1994 के अधिनियम 32 का संशोधन।

(क) धारा 65 में, उस तारीख से, जिसे केंद्रीय सरकार राजपत्र में, अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(i) खंड (9) में, "सर्विस या मरम्मत" शब्दों के स्थान पर, "सर्विस, मरम्मत, पुनरुनुकूलन या पुनरुद्धार" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (15) में, "प्रसारण प्रभारों के संग्रहण" शब्दों के पश्चात्, "या केबल आपरेटर को, जिसके अंतर्गत बहु प्रणाली आपरेटर या कोई अन्य व्यक्ति भी है, किसी प्रकार की सूचना जैसे चिह्न, संकेत, लेख, चित्र, छायांकन और अंतरिक्ष के माध्यम से या केबल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के पारेषण द्वारा सभी प्रकार की ध्वनि डायरेक्ट टू होम सिग्नल या किन्हीं अन्य साधनों से प्राप्त करने के अधिकारों को अनुज्ञात करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iii) खंड (16) में, "प्रसारण प्रभारों के संग्रहण" शब्दों के पश्चात्, "या केबल आपरेटर को, जिसके अंतर्गत बहु प्रणाली आपरेटर या कोई अन्य व्यक्ति भी है, किसी प्रकार की सूचना जैसे चिह्न, संकेत, लेख, चित्र, छायांकन और अंतरिक्ष के माध्यम से या केबल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के पारेषण द्वारा सभी प्रकार की ध्वनि डायरेक्ट टू होम सिग्नल या किन्हीं अन्य साधनों से प्राप्त करने के अधिकारों को अनुज्ञात करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(iv) खंड (17) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(17) "सौन्दर्य उपचार" के अंतर्गत केशकर्तन, केश रंगाई, केश सज्जा, चेहरा और सौन्दर्य उपचार, प्रसाधन उपचार, हस्त श्रृंगार, पाद श्रृंगार या सौन्दर्य, चेहरे की देखभाल या बनाव श्रृंगार के संबंध में सलाहकार सेवाएं या ऐसी ही अन्य सेवाएं सम्मिलित हैं ;';

(v) खंड (19) में,—

(i) उपखंड (iv) में निम्नलिखित स्पष्टीकरण, अंत में अंतःस्थापित किया जाएगा :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है इस उपखंड के प्रयोजनों के लिए "निवेश" से ग्राहक द्वारा उपयोग के लिए आशयित सभी माल या सेवाएं अभिप्रेत हैं ;';

(ii) उपखंड (v) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(v) ग्राहक के लिए या उसकी ओर से माल का उत्पादन या प्रसंस्करण ;";

(iii) स्पष्टीकरण के स्थान पर निम्नलिखित स्पष्टीकरण रखा जाएगा, अर्थात् :—

'**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "कमीशन अभिकर्ता" से ऐसा कोई व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करता है और प्रतिफल के लिए माल या सेवाओं का क्रय या विक्रय या उनकी व्यवस्था करता है या उन्हें प्राप्त करता है या करवाता है और इसके अंतर्गत कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो किसी अन्य व्यक्ति की ओर से कार्य करते समय,—

(i) माल या सेवाओं या ऐसे माल या सेवाओं के संबंध में उनके हक के दस्तावेजों को संभालता है ; या

(ii) ऐसे माल या सेवाओं की विक्रय कीमत के संदाय का संग्रहण करता है ; या

(iii) ऐसे माल या सेवाओं के संग्रहण या संदाय के लिए प्रत्याभूति देता है ; या

(iv) ऐसे माल या सेवाओं के ऐसे विक्रय या क्रय के संबंध में कोई क्रियाकलाप करता है ;

(ख) "सूचना प्रौद्योगिकी सेवा" से कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर का डिजाइन करने, उसका विकास या अनुरक्षण करने या कम्प्यूटरीकृत डाटा प्रसंस्करण या सिस्टम नेटवर्किंग से संबंधित कोई सेवा या मुख्यतः कम्प्यूटर प्रणाली के प्रचालन के संबंध में कोई अन्य सेवा अभिप्रेत है ; ';

(vi) खंड (24क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(24ख) "स्वच्छता क्रियाकलाप" से सफाई करना अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत विशेषीकृत सफाई सेवाएं जैसे,—

(i) वाणिज्यिक और औद्योगिक भवन और उनके परिसर ;

(ii) कारखाने, संयंत्र या मशीनरी, वाणिज्यिक या औद्योगिक भवन और उनके परिसरों के टैंकों या जलाशयों,

की वस्तुओं या परिसरों को विसंक्रमित करना, परिसमाप्त करना या निर्जीवाणुकरण करना है, किंतु इसके अंतर्गत कृषि, उद्यान कृषि, पशुपालन या डेयरी के संबंध में ऐसी सेवाएं सम्मिलित नहीं है ;';

(vii) खंड (25) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(25क) "क्लब या संगम" से ऐसा कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय अभिप्रेत है जो अपने सदस्यों को किसी अभिदाय या अन्य रकम के लिए सेवाएं, प्रसुविधाएं या फायदे प्रदान करता है, किंतु इसके अंतर्गत निम्नलिखित सम्मिलित नहीं हैं,—

(i) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि द्वारा या उसके अधीन स्थापित या गठित कोई निकाय ; या

(ii) व्यापार संघों के क्रियाकलापों, कृषि, बागवानी और पशु-पालन के संवर्धन में लगा कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय; या

(iii) कोई व्यक्ति या व्यष्टि निकाय, जो किसी ऐसे क्रियाकलाप में लगे हैं जिसके उद्देश्य ऐसे हैं, जो लोक सेवा और पूर्त, धार्मिक या राजनैतिक प्रकृति के हैं ; या

(iv) प्रेस और मीडिया से सहबद्ध कोई व्यक्ति या व्यष्टि-निकाय ;

(25ख) "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण सेवा" से अभिप्रेत है,—

(क) नए भवन या सिविल संरचना या उसके किसी भाग का सन्निर्माण ; या

(ख) पाइपलाइन या नाली का सन्निर्माण ; या

(ग) भवन या सिविल संरचना के संबंध में पूर्ण करने और सुसज्जित करने संबंधी सेवाएं जैसे कांचित करना, प्लास्टर करना, पेंटिंग, फर्श और दीवार पर टाइल लगाना, दीवार आच्छादित करना, दीवार पर कागज लगाना, काष्ठ और धातु जुड़ाई और बढ़ईगिरी और रैलिंग लगाना, तरणतालों, ध्वनि संबंधी युक्तियों या फिटिंगों को संस्थापित करना तथा अन्य वैसी ही सेवाएं ; या

(घ) भवन या सिविल संरचना, पाइपलाइन या नाली के संबंध में मरम्मत, परिवर्तन या उसका पुनरुद्धार अथवा वैसी ही सेवाएं ;

जिनका वाणिज्य या उद्योग, या वाणिज्य या उद्योग के लिए आशयित कार्य के संबंध में, जिसके अंतर्गत ऐसी सेवाएं नहीं हैं जो सड़कों, विमानपत्तनों, रेलवे, परिवहन टर्मिनलों, पुलों, सुरंगों और बांधों के संबंध में उपलब्ध कराई जाती हैं,—

(i) मुख्य रूप से उपयोग किया गया है या उपयोग किया जाना है ; या

(ii) मुख्य रूप से अधिभोग में हैं या अधिभोग में लिया जाना है ; या

(iii) मुख्य रूप से काम में लगी हुई हैं या लगाई जानी हैं ;';

(viii) खंड (30क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(30क) "काम्प्लैक्स का सन्निर्माण" से अभिप्रेत है,—

(क) नए आवासिक काम्प्लैक्स या उसके भाग का सन्निर्माण ; या

(ख) आवासिक काम्प्लैक्स के संबंध में पूर्ण करने और सुसज्जित करने संबंधी सेवाएं जैसे कांचित करना, प्लास्टर करना, पेंटिंग, फर्श और दीवार पर टाइल लगाना, दीवार आच्छादित करना और दीवार पर कागज लगाना, काष्ठ और धातु जुड़ाई और बढ़ईगिरी, बाड़ लगाना और रैलिंग लगाना, तरणताल, ध्वनि संबंधी युक्तियों या फिटिंगों को संस्थापित करना तथा अन्य वैसी ही सेवाएं ; या

(ग) आवासिक काम्प्लैक्स की मरम्मत, परिवर्तन, नवीकरण या पुनःरुद्धार या उसके संबंध में वैसी ही सेवाएं ;';

(ix) खंड (36) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(36क) "झमाई" में, सामग्री का, जिसके अंतर्गत किन्हीं नदियों, पत्तनों, बंदरगाहों, अप्रवाही जल और मुहानों का, स्थायी तौर पर या अस्थायी तौर पर, कोई उत्खनन, सफाई करने, उन्हें गहरा, चौड़ा या लंबा करने में प्राप्त तलछट,गाद, चट्टानें, बालू, अवशिष्ट, कूड़ा-करकट, पेड़-पौधों या पशुओं की गंदगी है, हटाया जाना सम्मिलित है ;';

(x) खंड (39क) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(39क) "परिनिर्माण, संस्थापन या प्रतिष्ठापन" से निम्नलिखित के संबंध में किसी संस्थापन या प्रतिष्ठापन अभिकरण द्वारा उपलब्ध कराई गई कोई सेवा अभिप्रेत है,—

(i) संयंत्र, मशीनरी या उपस्कर का परिनिर्माण, संस्थापन या प्रतिष्ठापन ; या

(ii) निम्नलिखित का प्रतिष्ठापन,—

(क) विद्युत या इलैक्ट्रानिक युक्तियां, जिनमें उनके तार बिछाना और फिटिंगें सम्मिलित हैं ; या

(ख) द्रव्यों के परिवहन के लिए नलसाजी, नाली बिछाना या अन्य प्रतिष्ठापन ; या

(ग) तापन, संवातन और वातानुकूलन, जिसमें संबंधित पाइपकार्य, नलिका कार्य और चादर धातु कार्य सम्मिलित हैं; या

(घ) तापीय रोधन, ध्वनि रोधन और अग्निरोधी या जल रोधी करना ; या

(ङ) लिफ्ट और एस्केलेटर, अग्नि बचाव सीढियां, ट्रेवलेटर ; या

(च) वैसी ही अन्य सेवाएं ;';

(xi) खंड (47) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(47) "कारबार विशेषाधिकार" से कोई ऐसा करार अभिप्रेत है जिसके द्वारा कारबार विशेषाधिकार प्राप्त व्यक्ति को ऐसे माल का विक्रय या विनिर्माण करने या सेवा का उपबंध करने या कोई प्रक्रिया हाथ में लेने, जिसकी विशेषाधिकार देने वाले व्यक्ति के साथ पहचान की गई है जिसमें चाहे, यथास्थिति, कोई व्यापार चिह्न, सेवा चिह्न, व्यापार नाम या लोगो या ऐसा प्रतीक अंतर्वलित है या नहीं, प्रतिनिधि संबंधी अधिकार प्रदान किया जाता है ;';

(xii) खंड (55ख) के उपखंड (क) में, "चाहे स्थायी रूप से या अन्यथा" शब्दों के स्थान पर, "अस्थायी रूप से" शब्द रखे जाएंगे;

(xiii) खंड (63) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(63क) "डाकसूची संकलन और डाक" से निम्नलिखित अभिप्रेत है,—

(i) किन्हीं स्रोतों से नामों, पतों की सूचियों और किसी अन्य सूचना का संकलन करना और उसे उपलब्ध कराना; या

(ii) दस्तावेजों, सूचना, माल या किसी अन्य सामग्री को, उस पर पता लिखकर, उसमें सामग्री रख कर, उसे मुद्राबंद करके, मीटर करके या ग्राहक के लिए या उसकी ओर से डाक से भेजना ;';

(xiv) खंड (64) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(64) "अनुरक्षण या मरम्मत" से निम्नलिखित द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली कोई सेवा अभिप्रेत है,—

(i) किसी संविदा या करार के अधीन कोई व्यक्ति ;

(ii) निम्नलिखित के संबंध में कोई विनिर्माणकर्ता या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई व्यक्ति,—

(क) किसी माल या उपस्कर का, जिसमें मोटर यान नहीं है, अनुरक्षण या मरम्मत जिसके अंतर्गत पुनर्नुकूलन या पुनरुद्धार या सर्विसिंग है ;

(ख) स्थावर संपत्तियों का अनुरक्षण या प्रबंधन ;';

(xv) खंड (68) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(68) "जनशक्ति भर्ती या पूर्ति अभिकरण" से किसी ग्राहक को स्थायी रूप से या अन्यथा जनशक्ति की भर्ती या पूर्ति के लिए किसी रीति में प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः कोई सेवा उपलब्ध कराने में लगा हुआ कोई वाणिज्यिक समुत्थान अभिप्रेत है ;';

(xvi) खंड (76क) में, "किसी स्थान पर" शब्दों के पश्चात् "किंतु जिसमें ऐसी सेवा प्राप्त करने वाले व्यक्ति द्वारा किराएदारी के रूप में या अन्यथा उपलब्ध कराया गया कोई स्थान या परिसर सम्मिलित है" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(xvii) खंड (76क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(76ख) "पैकेजिंग क्रियाकलाप" से माल की पैकेजिंग अभिप्रेत है जिसके अंतर्गत पाउच भरण, बोतल भरण, लेबल लगाना या पैकेज अंकित करना है किंतु जिसमें ऐसे पैकेजिंग क्रियाकलाप नहीं हैं जो केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 की धारा 2 के खंड (च) के अर्थान्तर्गत "विनिर्माण" की कोटि में आते हैं ;';

1944 का 1

(xviii) खंड (91) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

'(91क) "आवासिक काम्प्लेक्स" से निम्नलिखित कोई काम्प्लेक्स अभिप्रेत हैं, जिनमें —

(i) ऐसा भवन या ऐसे भवन, जिनमें बारह से अधिक आवासिक इकाइयां हैं ;

(ii) एक सामान्य क्षेत्र है ; और

(iii) एक या एक से अधिक प्रसुविधाएं या सेवाएं जैसे पार्क, लिफ्ट, पार्किंग स्थल, सामुदायिक भवन, सामान्य जलपूर्ति या बहिस्राव उपचार प्रणाली है,

जो परिसरों के भीतर अवस्थित हैं और ऐसे परिसरों का अभिन्यास तत्समय प्रवृत्त विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित है, किंतु जिसके अंतर्गत ऐसे काम्प्लेक्स नहीं हैं जो किसी व्यक्ति द्वारा ऐसे काम्प्लेक्स के अभिन्यास की डिजाइन या योजना बनाने के लिए या सन्निर्माण के लिए किसी अन्य व्यक्ति को सीधे नियोजित करके सन्निर्मित किए गए हैं और ऐसे व्यक्ति द्वारा निवास के रूप में व्यक्तिगत उपयोग के लिए आशयित है ।

स्पष्टीकरण—शंकाओं को दूर करने के लिए यह स्पष्ट किया जाता है कि इस खंड के प्रयोजनों के लिए,—

(क) "व्यक्तिगत उपयोग" पद में अन्य व्यक्ति द्वारा निवास के रूप में उपयोग के लिए ऐसी आवासिक इकाई को अनुज्ञात करना या किराए पर देना या प्रतिफल के बिना देना सम्मिलित है ;

(ख) "आवासिक इकाई" से ऐसा एकल गृह या कोई एकल अपार्टमेंट अभिप्रेत है, जो निवास स्थान के रूप में उपयोग के लिए आशयित है ;';

(xix) खंड (97) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(97क) "स्थल बनाना और निकासी, उत्खनन और मिट्टी हटाना और ढहाना" में निम्नलिखित सम्मिलित हैं,—

(i) सन्निर्माण, भूभौतिक, भू-वैज्ञानिक या वैसे ही प्रयोजनों के लिए ड्रिलिंग, वेधन और गुल्ली निष्कर्षण सेवाएं, या

(ii) मृदा स्थिरीकरण ;या

(iii) केबलों या नाली के पाइपों के मार्ग के लिए क्षैतिज ड्रिलिंग ; या

(iv) भूमि उद्धार संबंधी कार्य ; या

(v) संदूषित अपरि मृदा कर्तन कार्य ; या

(vi) भवनों, निर्मितियों, गलियों या राजमार्गों को ढहाना और ध्वंस करना,

किंतु इसके अंतर्गत कृषि, सिंचाई, जल विभाजक विकास और जल स्रोतों या जल निकायों की ड्रिलिंग, खुदाई, मरम्मत, नवीकरण या पुनरुद्धार के संबंध में उपलब्ध कराई गई ऐसी सेवाएं सम्मिलित नहीं हैं ;';

(xx) खंड (98) के स्थान पर, निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(98) "ध्वन्यंकन" से किसी माध्यम या युक्ति पर ध्वनि का अंकन अभिप्रेत है, जिसके अंतर्गत चुंबकीय भंडारण युक्ति है और जिसके अंतर्गत किसी रीति में जैसे ध्वनि सूचीकरण, ध्वनि का भंडारण और ध्वनि का मिश्रण या पुनः मिश्रण या कोई श्रवण उत्पादन पश्चात् क्रियाकलाप, ध्वन्यंकन से संबंधित सेवाएं हैं, ;' ;

(xxi) खंड (104क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

'(104ख) "सर्वेक्षण और नक्शा बनाना" से भूवैज्ञानिक या भूभौतिकी या कोई अन्य पूर्वेक्षण, सतह या उपसतह या हवाई सर्वेक्षण या किसी प्रकार का नक्शा बनाना अभिप्रेत है ;';

(xxii) खंड 105 में,—

(क) "उपलब्ध कराई गई" शब्दों के स्थान पर, "उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जानी है" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपखंड (ट) के स्थान पर, निम्नलिखित उपखंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

"(ट) किसी ग्राहक को अस्थायी रूप में या अन्यथा किसी रीति में जनशक्ति की भर्ती या पूर्ति के संबंध में किसी जनशक्ति भर्ती या पूर्ति अभिकरण द्वारा ;";

(ग) उपखंड (ड) में, "ऐसे उपयोग के संबंध में या खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं के संबंध में, यदि कोई हो, किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई सुविधाएं भी हैं" शब्दों के स्थान पर "ऐसे उपयोग के संबंध में उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली अथवा खान-पान प्रबंधक के रूप में की गई सेवाओं के संबंध में, यदि कोई हो, किसी ग्राहक को उपलब्ध कराई गई या उपलब्ध कराई जाने वाली सुविधाएं भी हैं;" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपखंड (यट) में, "प्रसारण प्रभारों के संग्रहण" शब्दों के पश्चात्, "या केबल आपरेटर को किसी प्रकार की संसूचना को, जैसे चिह्न, संकेत, लेख, चित्र, छाया और अंतरिक्ष के माध्यम से, केबल के माध्यम से विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रेषण द्वारा सभी किस्म की ध्वनि को प्राप्त करने के लिए अधिकारों को अनुज्ञात करने" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे ;

(ङ) उपखंड (यण) में, "मोटर कार या दुपहिया मोटर यानों की सर्विस या मरम्मत" शब्दों के स्थान पर, " मोटर कार, हल्के मोटर यान या दुपहिया मोटर यानों की मरम्मत या पुनरुनुकूलन या पुनरुद्धार" शब्द रखे जाएंगे ;

(च) उपखंड (ययञ) का लोप किया जाएगा ;

(छ) उपखंड (ययट) में, "उपखंड (यड) और उपखंड (यत)" शब्दों, कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "उपखंड (यड)" शब्द, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ज) उपखंड (ययथ) में, "सन्निर्माण सेवा" के स्थान पर, "वाणिज्यिक या औद्योगिक सन्निर्माण सेवा" शब्द रखे जाएंगे;

(झ) उपखंड (ययब) में "दी गई सेवाएं" शब्दों के स्थान पर "प्रदान की गईं या प्रदान की जाने वाली सेवाएं" शब्द रखे जाएंगे;

(ञ) उपखंड (ययम) के पश्चात्, निम्नलिखित उपखंड अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात् :—

"(ययय) किसी व्यक्ति को, पाइप लाइन या अन्य नलिका के माध्यम से जल से भिन्न माल के परिवहन के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययक) किसी व्यक्ति को, स्थल बनाने और निकासी, उत्खनन और मिट्टी हटाने तथा ढहाने तथा अन्य वैसे ही समान क्रियाकलापों के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययख) किसी व्यक्ति को, झमाई के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययग) किसी व्यक्ति को सर्वेक्षण करने और नक्शा तैयार करने के संबंध में, सरकार के नियंत्रणाधीन या उसके द्वारा प्राधिकृत किसी अभिकरण से भिन्न किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययघ) किसी व्यक्ति को, सफाई कार्य के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययङ) किसी क्लब या संगम द्वारा अपने सदस्यों को किसी अभिदाय या किसी अन्य रकम के लिए सेवाओं, सुविधाओं या फायदों का उपबंध करने के संबंध में ;

(ययच) किसी व्यक्ति को, पैकेजिंग क्रियाकलाप के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययछ) किसी व्यक्ति को, डाक सूची संकलन और डाक के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ;

(ययज) किसी व्यक्ति को, आवासिक परिसरों के सन्निर्माण के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति द्वारा ; " ;

(ट) अंत में, निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण**—शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि प्रदाय की गई या प्रदाय की जाने वाली सेवा जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसने कोई ऐसा कारबार स्थापित किया है या जिसका नियत स्थापन है जिससे सेवा प्रदाय की गई है या प्रदाय की जानी है अथवा जिसका स्थायी पता या निवास का प्रायिक स्थान भारत से भिन्न किसी देश में है, और ऐसी सेवा ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिसका अपना, यथास्थिति, कारबार का स्थान, नियत स्थापन, स्थायी पता या निवास का प्रायिक स्थान भारत में है, प्राप्त की जाती है या प्राप्त की जानी है भारत में ऐसी सेवा इस खंड के प्रयोजनों के लिए कराधेय सेवा समझी जाएगी ;";

(xxiii) खंड (120) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(120) "वीडियो टेप निर्माण" से किसी चुंबकीय टेप पर या किसी अन्य माध्यम पर किसी कार्यक्रम, घटना या समारोह के किसी अंकन की प्रक्रिया अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत उससे संबंधित सेवाएं जैसे संपादन, कर्तन, रंग साजी, डब करना, शीर्षक मुद्रण, विशेष प्रभाव देना, प्रसंस्करण, परिवर्धन, उपांतरण या ध्वनि हटाने, एक माध्यम से दूसरे माध्यम पर अंतरण करने या किसी रीति में कोई वीडियो निर्माण पश्चात् क्रियाकलाप हैं ;' ;

(ख) धारा 66 में, उस तारीख से जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करे,—

(i) "(ययञ), (ययट)" कोष्ठकों और अक्षरों के स्थान पर "(ययट)" कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ii) "और (ययम)" शब्दों के स्थान पर "(ययम), (ययय), (ययक), (ययख), (ययग), (ययघ), (ययङ), (ययच), (ययछ) और (ययज)" शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) धारा 67 में, —

(i) "दी गई ऐसी सेवा" शब्दों के स्थान पर "प्रदान की गई या प्रदान कराई गई सेवा" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) स्पष्टीकरण 2 के पश्चात् निम्नलिखित स्पष्टीकरण अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"**स्पष्टीकरण 3**— शंकाओं को दूर करने के लिए यह घोषित किया जाता है कि कराधेय सेवा के लिए प्रभारित सकल रकम में ऐसी सेवा के उपबंध से पूर्व, उसके दौरान या पश्चात् कराधेय सेवा के संबंध में प्राप्त कोई रकम सम्मिलित होगी ।";

(घ) धारा 69 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) केंद्रीय सरकार, उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए राजपत्र में अधिसूचना द्वारा ऐसे अन्य व्यक्ति या व्यक्तियों के वर्ग को विनिर्दिष्ट कर सकेगी, जो ऐसे समय के भीतर और ऐसी रीति में तथा ऐसे प्ररूप में रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करेंगे, जो विहित किया जाए ।" ;

(ङ) धारा 70 को उसकी उपधारा (1) के रूप में संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

"(2) धारा 69 की उपधारा (2) के अधीन अधिसूचित व्यक्ति या व्यक्तियों का वर्ग केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधीक्षक को ऐसे प्ररूप और ऐसी रीति में तथा ऐसे अंतराल पर, जो विहित किया जाए, विवरणी प्रस्तुत करेंगे ।" ;

(च) धारा 73 में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, " केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(छ) धारा 74 में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, जहां कहीं वे आते हैं, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ज) धारा 78 में, पहले परंतुक में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(झ) धारा 83 में, "15, 35च" अंकों और अक्षर के स्थान पर " 15, 33क, 35च" अंक और अक्षर रखे जाएंगे ;

(ञ) धारा 83 के पश्चात्, निम्नलिखित धारा अंतःस्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

'83क. जहां इस अध्याय या उसके अधीन बनाए गए नियमों के अधीन कोई व्यक्ति शास्ति के लिए दायी है, वहां ऐसी शास्ति का न्यायनिर्णयन ऐसे केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी द्वारा, किया जा सकेगा जिसे ऐसी शक्ति प्रदान की गई है, जो केन्द्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 के अधीन गठित केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।'; न्यायनिर्णयन की शक्ति।

1963 का 54

(ट) धारा 84 में, —

(क) उपधारा (1) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर, "उसके अधीनस्थ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (3) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर "ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ठ) धारा 85 में, —

(क) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रखी जाएगी, अर्थात्:—

"(1) केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त के अधीनस्थ न्यायनिर्णायक प्राधिकारी द्वारा पारित किसी विनिश्चय या आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क आयुक्त (अपील) को अपील कर सकेगा ।" ;

(ख) उपधारा (3) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त," शब्दों के स्थान पर "ऐसे न्यायनिर्णायक प्राधिकारी" शब्द रखे जाएंगे ;

(ड) धारा 86 में, —

(क) उपधारा (1) में, "धारा 84" शब्द और अंकों के स्थान पर " धारा 73, या धारा 83क या धारा 84" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ख) उपधारा (2) में, "धारा 84" शब्द और अंकों के स्थान पर " धारा 73, धारा 83क या धारा 84" अंक, अक्षर और शब्द रखे जाएंगे ;

(ग) उपधारा (2क) में, "यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील" शब्दों के स्थान पर "उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी को उस आदेश के विरुद्ध अपील अधिकरण में अपील" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपधारा (4) में, "केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क सहायक आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क उपायुक्त" शब्दों के स्थान पर "उससे अधीनस्थ कोई केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क अधिकारी" शब्द रखे जाएंगे;

(ढ) धारा 94 की उपधारा (2) में, —

(i) खंड (ख) में, "धारा 69 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 69 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (ग) में, "धारा 70 के अधीन" शब्दों और अंकों के स्थान पर, "धारा 70 की उपधारा (1) या उपधारा (2) के अधीन" शब्द और अंक रखे जाएंगे ;

(ण) धारा 96क में, —

(i) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

'(ख) "आवेदक" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जो —

(i) (क) ऐसा अनिवासी होते हुए किसी अनिवासी या किसी निवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ख) कोई निवासी होते हुए किसी अनिवासी के सहयोग से भारत में कोई संयुक्त उद्यम स्थापित कर रहा है ; या

(ग) पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी ऐसी भारतीय कंपनी जिसकी धारक कंपनी कोई विदेशी कंपनी है,

जो भारत में किसी कारबारी क्रियाकलाप करने का प्रस्ताव करता है ;

(ii) भारत में कोई संयुक्त उद्यम ; या

(iii) व्यक्तियों के किसी ऐसे वर्ग या प्रवर्ग के अंतर्गत आने वाला ऐसा कोई निवासी जिसे केंद्रीय सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस निमित्त विनिर्दिष्ट करे,

और, यथास्थिति, जिसने या जो धारा 96ग की उपधारा (1) के अधीन अग्रिम विनिर्णय के लिए आवेदन किया है या करता है ;';

(ii) खंड (घ) में, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण" शब्दों के स्थान पर, "अग्रिम विनिर्णय प्राधिकरण (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद-शुल्क और सेवा-कर)" शब्द और कोष्ठक रखे जाएंगे ।'।